<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयः बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (एस) क्र. 1328/2005</u>

सैयद अकबर अली हाशमी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग. राज्य) एवं अन्य

निर्णय सुनाए जाने हेतु 03 सितम्बर, 2009 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
श्री सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (एस) क्र. 1328/2005

याचिकाकर्ता		सैयद अकबर अली हाशमी, पिता सैयद मोहम्मद अली, उम्र लगभग 52 वर्ष, व्यवसाय डिप्टी कलेक्टर, बलौदा बाजार, रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण	1.	मध्य प्रदेश राज्य (अब छ.ग. राज्य), द्वारा (i) सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.) (ii)सचिव,राजस्व विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
	2.	आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.)
	3.	श्री ओम प्रकाश गौतम, डिप्टी कलेक्टर, खरगोन (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: श्री आशीष सुराना , याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री पंकज श्रीवास्तव, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।
समन की तामिली के बाद भी उत्तरवादी क्र. 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

निर्णय

(आज दिनांक 3 सितम्बर, 2009 को पारित)

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया गया।
2. इस याचिका में 16 जून, 1994 के आदेश (अनुलग्नक-ए/1) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था।
3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवादित तथ्य संक्षेप में यह है कि याचिकाकर्ता 11 मई, 1977 के नियुक्ति पत्र द्वारा नायब तहसीलदार के रूप में सेवा में शामिल हुआ। इसके बाद, वह 3 अक्टूबर, 1988 के आदेश द्वारा तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुआ और 21 अक्टूबर, 1988 को डोंगरगढ़ के तहसीलदार के पद पर पदस्थ किया गया। 1 अप्रैल, 1993 को तहसीलदारों

की पदक्रम सूची में याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 230 पर दर्शाया गया था और उत्तरवादी क्रमांक 3 का नाम क्रम संख्या 231 पर अंकित है। याचिकाकर्ता का अगला पदोन्नति पद मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 1975 (संक्षेप में "नियम, 1975") के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर है।

4. वर्ष 1993 में कनिष्ठ वेतनमान में से लगभग 90 डिप्टी कलेक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन समिति का गठन किया गया था। चयन का मापदंड वरिष्ठता के साथ सभी क्षेत्रों में योग्यता और उपयुक्तता थी। चयन के बाद, पदोन्नति का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था जिसमें 87 अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर (कनिष्ठ वेतनमान) के रूप में पदोन्नत किया गया था। आक्षेपित आदेश से याचिकाकर्ता से कनिष्ठों को भी पदोन्नत किया गया था और याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अनदेखा कर दिया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित पदोन्नति आदेश से व्यथित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने 1 जुलाई, 1996 को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "सेट") के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और इसे ओ.ए. नंबर 1291/1996 के रूप में क्रमांकित किया गया था। सेट के विघटन पर, मूल आवेदन इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था जहां इसे रिट याचिका (एस.) क्र. 1328/2005 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुराना ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 1988 और 1989 से संबंधित उनकी दो वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (संक्षेप में "वा.गो.रि.") चयन समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। वर्ष 1992 की गोपनीय रिपोर्ट भी विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में "वि.प.स.") के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार, संपूर्ण चयन प्रक्रिया दूषित है। याचिकाकर्ता को बाद में 29 मई, 2003 के आदेश (अनुलग्नक ए/10) द्वारा डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उसे 12 सितंबर, 2006 के दस्तावेज़ (अतिरिक्त दस्तावेज़ क्रमांक 2) के अनुसार 25 सितंबर, 1998 से उक्त पद पर काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान की गई है।

6. श्री सुराना ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के दावे को मनमानापूर्ण ढंग से बिना सोचे-समझे अनदेखा कर दिया गया है। वर्ष 1992 की वा.गो.रि. याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल नहीं थी। वि.प.स. ने उस पर विचार नहीं किया। अतः, इस रिट याचिका को स्वीकार किया

जाए और याचिकाकर्ता को 16 जून, 1994 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर सभी परिणामिक लाभों सहित पदोन्नति प्रदान की जाए।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि वि.प.स. की बैठक 2 अप्रैल, 1994 को हुई थी। सभी अभिलेख वि.प.स. के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें वर्ष 1992 की वा.गो.रि. भी सम्मिलित थीं, जिनमें याचिकाकर्ता को "ग" टिप्पणी दी गई थी। याचिकाकर्ता को वर्ष 1990 और 1991 में "ख" टिप्पणी दी गई थी। वि.प.स. ने याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया, इसलिए उसे डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया गया।

8. श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि वर्ष 1998 में आयोजित वि.प.स. में याचिकाकर्ता की वर्ष 1992 की एक और वा.गो.रि. प्रस्तुत की गई, जिसमें "क" टिप्पणी अंकित है। संबंधित लिपिक त्रिलोचन शर्मा को याचिकाकर्ता की वर्ष 1992 की वा.गो.रि. में परिवर्तन के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। मुख्य सचिव ने 22 अप्रैल, 1999 को अपने पत्र में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की वर्ष 1992 की वा.गो.रि. में अंकित टिप्पणी "क" अपूर्ण थी, क्योंकि उसे आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को वि.प.स. द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि वि.प.स. का निर्णय अंतिम है और यह न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में वि.प.स. के निर्णय का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. नोटिस की तामिली के बाद भी, उत्तरवादी क्रमांक 3, जो याचिकाकर्ता से तत्काल कनिष्ठ था, की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया है, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

11. राज्य प्रशासनिक सेवा अर्थात डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति तहसीलदारों/भूमि अभिलेख अधीक्षकों और आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों में से चयन समिति द्वारा अनुसूची IV के अंतर्गत और नियम, 1975 के नियम 15 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

12. वि.प.स. द्वारा आयोजित अपनी बैठक दिनांक 2 अप्रैल, 1994 (अनुलग्नक-ए/2) में कुछ प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तैयार किए, जिनमें सबसे *पहले*, उम्मीदवारों की सभी प्रकार से उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर चयन किया जाएगा; और *दूसरा*,

उपयुक्तता का निर्धारण पिछले 5 वर्षों की वा.गो.रि. के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार के पास कम से कम 2 वर्षों की वा.गो.रि. में "क" श्रेणी और पिछले 2 वर्षों के वा.गो.रि. में "ख" श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में यह किसी भी वर्ष की सबसे कम श्रेणी (घटिया श्रेणी) नहीं होनी चाहिए। *तीसरा,* पिछले तीन वर्षों को छोड़कर, यदि किसी अभ्यर्थी को "ग" श्रेणी दिया गया है, तो उस कमी को दूर करने के लिए उसे एक अतिरिक्त "क+" या "क" श्रेणी प्राप्त करना होगा। यदि पाँच वर्षों में से किसी वर्ष की वा.गो.रि. उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में तत्काल पिछले वर्ष की वा.गो.रि. पर विचार किया जा सकता है।

13. राज्य द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पता चला कि वर्ष 1989 की वा.गो.रि. में याचिकाकर्ता को "क+" श्रेणी दिया गया था, जिस पर वि.प.स. ने विचार नहीं किया। वर्ष 1990 में याचिकाकर्ता को "ख" श्रेणी दिया गया था, जिस पर भी वि.प.स. ने विचार नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंडला ने अपने पत्र दिनांक 11 मई, 1998 (अनुलग्नक ए/10) के साथ निदेशक, लेखा एवं पेंशन, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल को संबोधित करते हुए याचिकाकर्ता की वर्ष 1992 की वा.गो.रि. भेजी, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को "क+ (उत्कृष्ट)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निदेशक, जो उस समय कलेक्टर थे, ने याचिकाकर्ता को "क+" के स्थान पर "क" के रूप में वर्गीकृत किया है, अर्थात बहुत अच्छा। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वर्ष 1989 और 1990 की वा.गो.रि., जिसमें याचिकाकर्ता को क्रमशः "क+ और ख" के रूप में वर्गीकृत किया गया था, राज्य के अभिलेख में उपलब्ध था, परंतु उसे वि.प.स. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और, इस प्रकार, याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार नहीं किया गया और प्रक्रिया दूषित हो गई।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान विरुद्ध गुजरात राज्य**[1] के प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "25. यह सिद्धांत टाटा सेल्युलर विरुद्ध भारत संघ के प्रकरण में दोहराया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रतिपादित किया गया था कि न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस आचरण की समीक्षा करता है जिससे निर्णय लिया गया था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि न्यायालय के

[1] (1997) 7 SCC 622

पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह अपने ही निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है। न्यायालय ने बताया कि न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखना है। उसे निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:

1. क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है?
2. विधिक त्रुटि की गई है;
3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया गया है;
4. ऐसा निर्णय लिया जिस पर कोई भी उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुंच पाता; या
5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एम.वी. थिम्मैया एवं अन्य विरुद्ध संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य**[2] के प्रकरण में अवधारित किया था कि "*सामान्यतः चयन समिति की सिफारिशों को चुनौती नहीं दिया जा सकता केवल दुर्भावना या वैधानिक नियमों के गंभीर उल्लंघन के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है।"*

17. वि.प.स. ने उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए पहले ही प्रक्रिया निर्धारित कर दी है, परंतु याचिकाकर्ता के प्रकरण में, वि.प.स. ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों की वा.गो.रि. पर विचार करना आवश्यक था और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य द्वारा वि.प.स. के समक्ष 2 वर्षों की वा.गो.रि. प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए, यह माना जाता है कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना गलत है। वि.प.स. ने याचिकाकर्ता के प्रकरण में पिछले 5 वर्षों की वा.गो.रि. पर विचार न करके अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

18. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी-प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के प्रकरण पर 2 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार प्रारंभ से विचार करें तथा वि.प.स. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित आदेश पारित करें।

---
[2] (2008) 2 SCC 119

19. परिणामस्वरूप, रिट याचिका इस आदेश से प्राप्त होने वाले परिणामिक लाभों सहित ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur